



अति आवश्यक
स्मरण पत्र-1

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक प. 1(1)कार्मिक/क-2/2020

जयपुर दिनांक :-

02 MARCH 2021

समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

विषय:-विभागों से संबंधित सेवा नियमों को अद्यतन करने के संदर्भ में।


संदर्भ:-इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 27.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 27.01.2021 द्वारा समस्त प्रशासनिक विभागों को संबंधित सेवा नियमों की एक सॉफ्ट कॉपी (Soft Copy M.S. Word) मय आदिनांक तक किये गये संशोधन कार्मिक विभाग को अतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु लिखा गया था, परन्तु काफी विभागों द्वारा आदिनांक तक पालना नहीं की गई है।

अतः पुनः निवेदन है कि प्रशासनिक विभाग संबंधित सेवा नियमों की अद्यतन एक सॉफ्ट कॉपी (Soft Copy M.S. Word) मय आदिनांक किये गये संशोधन कार्मिक विभाग को Email ID : rules.dop@rajasthan.gov.in पर अतिशीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करावें।

भवदीय



(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव